

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (का0)
सोनपुर
दिनांक 18.10.2021

सं0 का/207/पॉलिसी/UMID/सोन0

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय:- पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरो का UMID (Unique Medical Identity Card) के संबंध में ।

विषयगत मामले में सोनपुर मंडल के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों का UMID के अंतर्गत चिकित्सा कार्ड बनाया जाना है तथा इसके लिए सोनपुर मंडल में कैंप लगाया जाना है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क0सं0	स्टेशन	कैंप स्थल	कैंप तिथि	बीट कर्मचारी कल्याण निरीक्षक
1	सोनपुर	सामूदायिक भवन, रेलवे अस्पताल रोड, सोनपुर	25.10.2021 एवं 26.10.2021	श्री अमरनाथ तिवारी

कृपया उपरोक्त स्थल पर पेंशनर्स को बुलाये जाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु संबंधित सूचना को नियमित स्थानीय एवं बाहरी, हिन्दी/अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में (जिनकी अधिकतम प्रसार संख्या हो) दिनांक 23.10.2021 तक सूचना प्रकाशित किया जाना है, प्रकाशित किये जाने हेतु सूचना (हिन्दी में) संलग्न की जाती है ।

अधिसूचना का प्रकाशन का व्यय लेखा शीर्ष सं0 03-311-99 से किया जाना है। इस लेखा शीर्ष में निधि उपलब्ध है । अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना को अखबार में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था किया जाय ।

संलग्नक- ' यथोपरि ।

(रवि कुमार पंडित)
सहायक कार्मिक अधिकारी- II
कृते मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर

OS/MPP- कृपया upload the above on website'

OS
18/10/2021



पूर्व मध्य रेल

सोनपुर मंडल

UMID कार्ड शिविर 2021

सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों हेतु विशेष अभियान

समय—प्रातः 10:30 बजे से सांय 04:30

स्थान:—

क्रमांक	स्टेशन	कैम्प स्थल	कैम्प तिथि
1	सोनपुर	सामुदायिक भवन, रेलवे अस्पताल रोड, सोनपुर	दिनांक—25.10.2021 एवं 26.10.2021

आवश्यक दस्तावेज:—

- स्वयं एवं परिवार के योग्य आश्रित सदस्यों का पासपोर्ट आकार की एक-एक रंगीन फोटो
- स्वयं एवं परिवार के योग्य आश्रित सदस्यों का आधार कार्ड/पैन कार्ड
- परिवार के योग्य आश्रित सदस्यों की जन्म तिथि प्रमाण हेतु दस्तावेज
- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का हस्ताक्षर ।
- सॉल्वे वेतन आयोग के तहत संशोधित पी.पी.ओ की प्रति।
- सेवानिवृत्ति के समय निर्गत RELHS चिकित्सा कार्ड
- अद्यतन पेंशन स्लीप एवं मोबाईल सं० (मोबाईल साथ में होना अनिवार्य है क्योंकि ओटीपी Verify होना है)।



नोट:— उपरोक्त शिविर के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।